उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

CIN : U32201UP1999SGC

e-mail – dgmiruppcl2017@gmail.com

संख्या–86–औ0सं0–17 / पाकालि / 2024–11(04) / एफ / 86–वो–2(टी0सी0) **दिनांकः 04 जनवरी, 2024**

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित समय–सीमा को विशेष परिस्थितियों में शिथिलता प्रदान करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी डिस्कॉम के सेवारत / सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंन्शनरों की अन्तःरोगी एवं वाह्य रोगी के रूप में करायी गयीचिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयोपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0–3741–औसं–17 / पाकालि / 2019 दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को अतिक्रमित करते हुए एतदद्वारा निम्नवत् व्यवस्था लागू की जाती है :–

1. भर्ती होकर करायी गयी चिकित्सा में डिस्चार्ज होने की तिथि से तथा वाह्य रोगी के रूप में लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों की चिकित्सा प्रकरणों में चिकित्सक द्वारा लिखे गये प्रिस्क्रिप्शन के दिनांक से 01 वर्ष के अन्दर चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु बीजक प्रस्तुत करना निर्धारित किया जाता है।
2. 01 वर्ष की अवधि के उपरान्त प्रस्तुत कारपोरेशन से सम्बन्धित चिकित्सा बीजकों के भुगतान हेतु विलम्ब के कारणों पर सम्यक् विचार करते हुए शिथिलता प्रदान करने हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) एवं डिस्काम से सम्बन्धित चिकित्सा प्रकरणों में सम्बन्धित डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया जाता है।
3. 02 वर्ष की अवधि के उपरान्त प्रस्तुत चिकित्सा बीजकों के भुगतान हेतु विशेष परिस्थतियों में गुणावगुण के आधार पर शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के प्रबन्ध निदेशक एवं डिस्काम से सम्बन्धित प्रकरणों में डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

सं0–86– औ0सं0–17 / 2024 तद्‌दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 / एस0एल0डी0सी0लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वान्चल / मध्यांचल / पश्चिमांचल / दक्षिणांचल एवं केस्को।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) / वित्त / वितरण / वाणिज्य / कारपोरेट प्लानिंग / आई0टी0, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव शक्ति भवन लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0 / उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के निजी सचिव, शक्ति भवन लखनऊ।

6. मुख्य अभियन्ता (हाईडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं प्रशासन)/(निधि प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/अनुभाग अधिकारी,उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की ~~196(2)~~ 197(10) वीं बैठक में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. कट फाइल।

(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)